

कार्यालय आदेश

विषय: निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव को रद्द करने के संबंध में।

समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांकित 21.08.2025 का अवलोकन करें, निम्नलिखित निजी सहायकों को निजी सचिव के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव प्रदान किए गए थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1.	श्रीमती कृष्णा मागू	एनआईसीपीआर, नोएडा
2.	श्रीमती सुमन एस. दुबे	एनआईटीवीएआर, पुणे

- पदोन्नति प्रस्ताव में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार, पदोन्नत व्यक्तियों को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं और पदोन्नति आदेश किसी अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा।
- हालाँकि, उपर्युक्त अधिकारियों ने 10 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो अपनी स्वीकृति प्रस्तुत की और न ही अपनी अस्वीकृति दी है और तदनुसार, यह माना गया है कि वे परिषद द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।
- अतः, उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में जारी पदोन्नति का प्रस्ताव रद्द किया जाता है और उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाता है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, इस अवधि के दौरान उन्हें पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, जब तक वे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं जाते, तब तक वे आगामी वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं होंगे।

(रीमा शर्मा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सभी संबंधित (02)

प्रतिलिपि:-

- परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
- निदेशक, एनआईसीपीआर, नोएडा/एनआईटीवीएआर, पुणे।
- उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(वित्त)
- अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग)- I, III और VI, परिषद मुख्यालय।
- आरक्षण कक्ष, परिषद मुख्यालय
- नोडल अधिकारी (ई-गवर्नेंस सेल), परिषद मुख्यालय।
- बजट/गार्ड फाइल